न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 56/2016

राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. वेदप्रकाश जाति अरोडा निवासी ठकराल स्ट्रीट प्रेम नगर, गली नम्बर 8 श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र वेद प्रकाश जाति अरोडा निवासी ठकराल स्ट्रीट , गली नम्बर 8 प्रेम नगर, श्रीगंगानगर।
2. राजरानी पत्नी स्व. दिनेश कुमार
3. सन्नी ठकराल पुत्र दिनेश कुमार जाति अरोडा नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता राजरानी पत्नी दिनेश कुमार निवासी ठकराल स्ट्रीट गली नम्बर 8, प्रेम नगर श्रीगंगानगर।
4. वदना
5. किरण — पिसरान दिनेश कुमार जाति अरोडा निवासी गली नं. 8, ठकराल स्ट्रीट
6. काजल — प्रेमनगर , श्रीगंगानगर।
7. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 25.02.2016

उपस्थिति—

श्री प्रेमप्रकाश मक्कड अभिभाषक अपीलांट

श्री दिनेश छाबडा अभिभाषक रेस्पों.सं. 1

श्री ओमप्रकाश रेस्पों. सं. 2 से 6

निर्णय

दिनांक—18/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी राजेन्द्र कुमार ने उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के पिता वेदप्रकाश द्वारा सहमति बंटवारानामा के अनुसार प्रार्थी को मु.नं. 77 के कि.नं. 6 में 10 बिस्वा , किला नं. 7 में 10 बिस्वा वाके चक 1 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का बंटवारानामा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अनुसार आराजी दी। प्रार्थी के पिता ने इस आराजी को विभाजन के अनुसार बंटवारेनामे में मु.नं. 77 के कि.नं. 6 में दक्षिण साईड 60 फुट व 165 फुट लम्बा व कि.नं. 7 में 60 फुट चौडा व 165 फुट लम्बा दक्षिण साईड में जिसका मैन गेट उत्तर की ओर 45 फुट चौडी सडक होगा। यानि दोनों प्लाटों की दीवारें पूर्व साईड 60–60 फुट व पश्चिम में भी 60–60 फुट व उत्तर साईड में 165–165 फुट व दक्षिण साईड में 165–165 फुट होगी। वर्तमान में यह भूमि कृषि भूमि है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए बंटवारेनामे के आधार पर मु.नं. 77 के कि.नं. 6 में 10 बिस्वा व कि.नं. 7 में 10 बिस्वा वाके चक 1ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को सुरक्षित करने हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण इस बंटवारेनामें के अनुसार उनके हिस्से में आई आराजी में काबिज है तथा प्रार्थी भी वाद पत्र में उल्लेखित मु.नं. 77 के कि.नं. 6 में 10 बिस्वा व कि.नं. 7 में 10 बिस्वा वाके चक 1ए छोटी पर काबिज है परन्तु प्रार्थी के अधिकारों को हनन करने के लिए अप्रार्थीगण प्रत्यनशील है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के हक में खिलाफ अप्रार्थीगण वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थी के कब्जा काश्त में व बंटवारानामा सहमति के आधार पर मु.नं. 77 के कि.नं. 6 व 7 में 10–10 बिस्वा भूमि चक 1 ए छोटी में किसी प्रकार की दखल अंदाजी करने, रहन बैय करने व अन्य दिगर तरीके से मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे।

(A) अप्राथीगण 2 ता 6 ने जबाब प्रा.पत्र पेशकर उसमें उजराज मजिद करते हुए प्रार्थी का प्रा.पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

(B) अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर उसमें अतिरिक्त कथन करते हुए प्रार्थी का प्रा.पत्र सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया।

(C) उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25.02.2016 से प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज करते हुए दिनांक 01.02.2016 को जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने के आदेश दिये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(a) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है। रेस्पों. सं. 1 ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि बंटवारानाम हुआ था। परन्तु बंटवारेनामें के पश्चात अपीलांट ने स्वयं ही मु.नं. 58 का एक प्लाट जो कृषि भूमि के रूप में था जो कि.नं. 4 व 5 में था का बेचान कर दिया है। अपीलांट को भी बंटवारानामा से आए मु.न 58 के कि.नं. 4 व 5 को बेचान करने का अधिकार था। अन्य जो बंटवारेनामे के अनुसार मु.नं. 77 के कि.नं. 6 व 7 में 10–10 बिस्वा का अधिकार सुरक्षित था। इसलिए बंटवारेनामें के अनुसार अपीलांट का वाद पूर्णतः साबित था। अधी. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस मानने में भूल की है। अतः निवेदन है कि अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निरस्त किया जावे।

(b) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अधी. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दुओं का सही विवेचन कर निर्णय पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

(c) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 से 6 ने भी अपनी बहस में रेस्पों. सं. 1 की बहस से सहमति व्यक्त करते हुए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) यह अपील मूल न्यायालय के अपीलांट व रेस्पों. के बीच बंटवारे के वाद में अपीलांट के स्थगन प्रा.पत्र को अधी. न्यायालय द्वारा अस्वीकार करने के आदेश को लेकर प्रस्तुत की गई है।

(b) अपीलांट व रेस्पों. आपस में भाई है तथा पिता से प्राप्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिनांक 05.06.1999 के बंटवारे व एक तथाकथित वसीयत के आधार पर मूल विचाराधीन वाद में विवाद को लेकर है जो जैरकार है।

(c) मुख्य बिन्दु जो अपीलांट द्वारा उठाया गया वह दिनांक 05.06.1999 के लिखित बंटवारे के बिन्दु का है। किन्तु अपील व स्थगन प्रा.पत्र में उक्त

बंटवारे के पृष्ठ 5 पर अंकित पैरा जो बहस में प्रदर्शित किया, वह परस्पर विरोधाभाषी है। फलस्वरूप अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय में स्थगन प्रा.पत्र को प्रथम दृष्टया अपीलांट के पक्ष में मामला साबित नहीं मानते हुए निरस्त किया है।

(d) अपीलांट ने बहस के तर्कों का कोई अकाट्य कथन व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। अतः अधी.न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.02.2016 में कोई त्रुटि नहीं पाते व निर्णय संधारणीय पाते हैं। फलस्वरूप अपील अपीलांट निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/7/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर